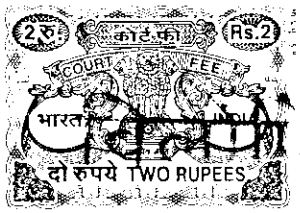

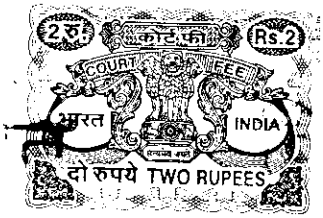

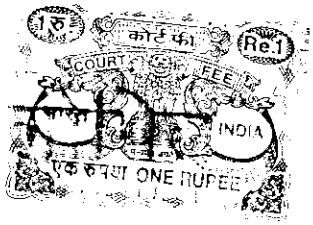

समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क्र /2014 पुनर्विलोकन रिव्यू - 774 - PBR/14

श्री .... द्वारा आज दि. 4-3-14 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

हाजी नसीम कुरैशी आ. श्री हाजी कासम कुरैशी आयु वयस्क निवासी म.न. 1 रविदास कालोनी जहागीरावाद , भोपाल म.प्र. मुख्यतारआम श्री मो. नसीम बेग आ. स्व. श्री हाजी मजीद बेग , आयु लगभग 45 वर्ष निवासी म.न. 53 वार्ड क्र 52 अहमदपुरकला होशगावाद रोड भोपाल म.प्र. ।

.........आवेदक /निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन द्धारा जिलाधीश महोदय जिला रायसेन म.प्र. ।
2. गंगाराम आ. श्री धन्नालाल विश्वकर्मा , आयु वयस्क निवासी ग्राम कछनारिया कृषक प.ह.न. 8 तह. व जिला रायसेन म.प्र. ।
3. मनकलाल आ. श्री नारायण प्रसाद यादव आयु वयस्क
4. परिक्षित आ. श्री मुन्नालाल जी आयु वयस्क
5. विजय राम आ. श्री राम कोरी आयु वयस्क
6. शिवलाल आ. श्री मोतीलाल कोरी आयु वयस्क
7. ख्याली आ. श्री देवीराम आयु वयस्क
8. छयाराम आ. श्री काशीराम आयु वयस्क
9. गंगा राम आ. श्री काशीराम आयु वयस्क

उपरोक्त 3 लगायत 9 सभी निवासीगण ग्राम मुक्तापुर तहसील व जिला रायसेन म.प्र. । (आवेदक क्र 3 लगायत 9 फारमल पक्षकार)

............अनावेदकगण

पुनर्विलोकन याचिका
अन्तर्गत धारा 51 म.प्र. भू–राजस्व सहिता , 1959

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यू 774–पीबीआर/14 जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–6–2014	आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता 1908 की धारा 114 तथा आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण 2 आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्को में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे । उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन	

हाजी नसीम आमन आदि

रिव्यू 774-PBR/14 [illegible] स्थगन

का आधार नहीं हो सकता है । अतः यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष